



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 509125

हम कनीज फातमा (अध्यक्ष) एवं ख्वाजा मोहम्मद फहीम (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव की फाउंडेशन, जामियानगर, नई दिल्ली शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं:

1. यह कि हमारा ट्रस्ट की फाउंडेशन, जामियानगर, नई दिल्ली नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह है कि हमारे ट्रस्ट की फाउंडेशन, संभल में भूमि स्थित है जिसका गाटा संख्या एवं रकबा क्रमशः एवं हेक्टर कुल रखवा भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह के उपरोक्त पते पर समिति के नाम उपलब्ध भूमि की गाटा संख्या एवं रखवा कर्मचारी एवं हेक्टेयर कुल रकबा हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव समिति की बैठक दिनांक द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्था के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

ATTESTED


SAMAL K. ELISHAB

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबंध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संचालन ना तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं, एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह की संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरी संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकनुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बन्धिता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी। कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियम अनुसार कानूनी संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


ह० सचिव

ATTESTED

KAMAL KAUSHAL
Sole Proprietor
HUBBLES


ह० अध्यक्षा